an>

title: Need to regularise the services of daily wage and adhoc employees working in Guru Ghasi Das Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) ः मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के संबंध में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हॅू। उक्त विश्वविद्यालय पहले राज्य विश्वविद्यालय था, जिसका उन्नयन 15.01.2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय जब राज्य शासन के अधीनस्थ था तो 29 तृतीय एवं 80 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 109 वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। जिस समय विश्वविद्यालय का उन्नयन केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया, उस समय भी 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नियमित करने का समझौता हुआ था। तद्नुसार छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ.-12-08/1/2007/1-3, दिनांक 5 मार्च, 2008 के अनुसार 01.01.1989 से 29.12.1997 की अवधि में नियुक्त छत्तीसगढ़ के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण का आदेश जारी किया गया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में पदस्थ 109 वेतनभोगी कर्मचारियों का दिनांक 26.08.2008 से नियमितीकरण किया गया है। इन 109 कर्मचारियों का दिनांक 26.08.2008 से मार्च, 2009 तक केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नियमित सात माह तक वेतनमान भी आहरण किया गया है, परंतु तत्कालीन कुलपति द्वारा अप्रैल6 2009 से बिना सूचना या आदेश के इन कर्मचारियों को आज तक कलेक्टर दर पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ये कर्मचारी अपने बच्चें को उच्च शिक्षा एवं वृद्ध माता-पिता को पर्याप्त सेवाएं देने में असुविधा महसूस कर रहे हैं।

अतः मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा आग्रह है कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के कार्यरत 109 वेतनभोगियों को 26.08.2008 से नियमित करने का आदेश जारी करें।